दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

निर्णय दिया गया: 22 दिसंबर, 2023

<u>आ.प्र.अ. (मू.प.) 32/2020, सि.वि.आ. 10063/2020, सि.वि.आ. 10064/2020, सि.वि.आ. 10065/2020, सि.वि.आ. 10066/2020, सि.वि.आ. 10067/2020, सि.वि.आ. 18608/2023</u>

विनोद कुमार अग्रवाल .....अपीलार्थी

बनाम

राज्य व अन्य .....प्रत्यर्थीगण

<u>इस मामले में उपस्थित हुए अधिवक्तागण:</u>

अपीलार्थी हेतु : श्री सिताब अली चौधरी और श्री गुफरान अली, अधिवक्तागण।

प्रत्यर्थीगण हेतु : प्र-2 से 4 और 9 से 12 हेतु सुश्री बीनाशॉ एन. सोनी सहित सुश्री मानसी जैन और श्री एन जोसेफ, अधिवक्तागण।

प्र-5, 6 और 7 हेतु श्री दीपक विश्वास, श्री प्रतीक चौहान व सुश्री वर्षा अग्रवाल, अधिवक्तागण।

कोरम
माननीय न्यायमूर्ति श्री विभू बखरु
माननीय न्यायमूर्ति श्री अमित महाजन

<u>निर्णय</u>

न्या. अमित महाजन

1. अपीलार्थी ने सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (**'सि.प्र.सं.'**) के आदेश XLIII नियम 1 के अंतर्गत दिल्ली उच्च न्यायालय नियमों की धारा 10 के साथ, *आशा मोंगिया व अन्य बनाम राज्य व अन्य*: वसीयती मामला संख्या 106, 2015 (यहाँ '**परीक्षण मामला**') में अंतर.आ. सं.4809/2017 में इस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 11.07.2019 के आदेश (यहाँ **'आक्षेपित आदेश'**) को चुनौती देते हुए वर्तमान अपील दायर की है।

2. विद्वान एकल न्यायाधीश ने, आक्षेपित आदेश के माध्यम से, अंतर.आ. सं. 4809/2017 को खारिज कर दिया था, जिसे अपीलार्थी ने सि.प्र.सं. के आदेश I नियम 10 के अंतर्गत श्रीमती आशा मोंगिया द्वारा दायर परीक्षण मामले में अभियोजित करने के रूप में, जो वर्तमान अपील में प्रत्यर्थी सं. 9 है, और स्वर्गीय श्री धर्मजीत मोंगिया और स्वर्गीय श्रीमती संतोष मोंगिया की संपत्ति के संबंध में अन्य विधिक उत्तराधिकारी के रूप में पेश करते हुए दायर किया था।

3. विद्वान एकल न्यायाधीश ने आगे कहा कि परीक्षण मामले को परिसीमा द्वारा वर्जित नहीं माना जा सकता।

संक्षिप्त तथ्य

4. संपत्ति सं. बी-1/41, जनकपुरी, दिल्ली (इसके बाद **'विषयगत संपत्ति'**) का स्वामित्व स्वर्गीय श्रीमती संतोष मोंगिया और उसके भाई, स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश चोपड़ा के पास संयुक्त रूप से था। वर्ष 1988 में श्री ओम प्रकाश चोपड़ा की मृत्यु के बाद, यह दावा किया गया कि विषयगत संपत्ति में से उसका हिस्सा उसकी बहनों, श्रीमती संतोष मोंगिया और श्रीमती विमला वर्मा को न्यागत हो गया।

5. यह दावा किया गया कि श्री धर्मजीत मोंगिया और श्रीमती संतोष मोंगिया की दिनांक 11.02.2004 को संदिग्ध परिस्थितियों में निर्वसीयत मृत्यु हो गई, जिसके कारण प्राथमिकी सं.76/2004 भी दर्ज की गई। विषयगत संपत्ति को पुलिस द्वारा सील कर दिया गया और दिनांक 05.11.2014 तक अपने कब्जे में रखा गया। इसके बाद पुलिस ने श्रीमती आशा मोंगिया को इसकी चाबियाँ सौंप दीं।

6. श्री धर्मजीत मोंगिया अपने पीछे अपने चार भाई श्री एस.डी.एस. मोंगिया, श्री सुदर्शन मोंगिया, श्री जे.एस. मोंगिया और श्री प्रदीप मोंगिया और एक बहन श्रीमती शकुंतला नारंग छोड़ गया है। यह कहा गया कि स्वर्गीय श्री धर्मजीत मोंगिया के सभी भाई-बहनों की भी मृत्यु हो चुकी है। यह भी कहा गया कि स्वर्गीय श्रीमती संतोष मोंगिया की बहन श्रीमती विमला वर्मा की भी मृत्यु हो चुकी है।

7. तत्काल परीक्षण मामला विषयगत संपत्ति के प्रशासन-पत्र का दावा करने के लिए स्वर्गीय श्री एस.डी.एस. मोंगिया के विधिक उत्तराधिकारियों द्वारा दायर किया गया था और स्वर्गीय श्रीमती विमला वर्मा और स्वर्गीय श्री धर्मजीत मोंगिया के माध्यम से अपने हित का दावा करने वाले अन्य विधिक उत्तराधिकारियों को प्रत्यर्थी के रूप में पेश किया गया था। संपदा में केवल विषयगत संपत्ति शामिल है।

8. अपीलार्थी, श्री विनोद कुमार अग्रवाल ने वर्तमान अपील दायर की है, और प्रत्यर्थी सं. 5 से 8 के रूप में स्वर्गीय श्रीमती विमला वर्मा के माध्यम से विषयगत संपत्ति में हित का दावा करने वाले विधिक उत्तराधिकारियों और श्रीमती संतोष मोंगिया प्रत्यर्थी सं. 2 से 4 तक और प्रत्यर्थी सं. 9 से 12 के माध्यम से विषयगत संपत्ति में हित का दावा करने वाले विधिक उत्तराधिकारियों को सूचीबद्ध किया है।

9. अपीलार्थी का दावा है कि वर्ष 2014 में, उसके पिता के निधन के बाद, उसे इस तथ्य की जानकारी हुई कि विषयगत संपत्ति उसके पिता ने वर्ष 1995 में श्रीमती संतोष मोंगिया से खरीदी थी। उसका दावा है कि श्रीमती संतोष मोंगिया ने विषयगत संपत्ति के संबंध में विक्रय हेतु एक करार और एक पंजीकृत साधारण मुख्तारनामा (**'जीपीए'**) निष्पादित किया था। अपीलार्थी ने विषयगत संपत्ति के संबंध में अपने पक्ष में एक हस्तांतरण विलेख के निष्पादन हेतु दिल्ली विकास प्राधिकरण (**'डीडीए'**) के साथ एक आवेदन भी दायर किया

है। अपीलार्थी ने दिनांक 08.03.2017 को तत्काल परीक्षण मामले में सि.प्र.सं. के आदेश I नियम 10 के अंतर्गत अभियोजित करने हेतु एक आवेदन दायर किया। अपीलार्थी ने सि.वा. सं. 260/2018 के अंतर्गत एक सिविल वाद भी दायर किया, जिसका शीर्षक *विनोद कुमार अग्रवाल बनाम आशा मोंगिया* था, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ घोषणा की डिक्री हेतु प्रार्थना की गई, जिससे अपीलार्थी को विषयगत संपत्ति का स्वामी घोषित किया जा सके। अपीलार्थी ने स्थायी व्यादेश हेतु भी प्रार्थना की, जिससे प्रत्यर्थीगण को किसी तीसरे पक्षकार के अधिकार का निर्माण करने से अवरुद्ध किया जा सके, और अनुरोध किया कि विषयगत संपत्ति की चाबियाँ उसे सौंप दी जाएँ और डीडीए को विषयगत संपत्ति के संबंध में एक हस्तांतरण विलेख निष्पादित करने का निर्देश दिया जाए।

10. उक्त वाद को बाद में इस न्यायालय में अंतरित कर दिया गया और इसे सि.वा. (मू.प.) 322/2018 के रूप में पुनः क्रमांकित किया गया। यद्यपि, वाद दिनांक 09.07.2018 को वापस लिया गया मानकर खारिज कर दिया गया। उसी तिथि को, विद्वान एकल न्यायाधीश ने, तत्काल परीक्षण मामले में, अपीलार्थी को इस मुद्दे के संबंध में न्यायालय की सहायता करना अनुज्ञात किया कि क्या परीक्षण मामला परिसीमा द्वारा वर्जित है। विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 09.07.2018 का आदेश इस प्रकार है:

> *"श्री मनु शिशोदिया, आवेदक/विनोद कुमार अग्रवाल हेतु विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि वर्तमान परीक्षण मामला,* ***कुँवरजीत सिंह खंडपुर***

बनाम किरणदीप कौर व अन्य एआईआर 2008 एससी 2058 *में उच्चतम न्यायालय के निर्णय को देखते हुए परिसीमा द्वारा वर्जित है।*

यद्यपि श्री विनोद कुमार अग्रवाल द्वारा दायर वाद आज वापस लिया गया मानकर खारिज कर दिया गया है, फिर भी श्री शिशोदिया को उपरोक्त विधिक मुद्दे पर इस न्यायालय की सहायता करना निर्देशित किया गया है।

19 सितंबर, 2018 को सूचीबद्ध।"

11. आक्षेपित आदेश के अनुसार, विद्वान एकल न्यायाधीश ने कहा कि चूंकि अपीलार्थी ने घोषणा और व्यादेश हेतु वाद पहले ही वापस ले लिया है, इसलिए परीक्षण मामले में उसे अभियोजित करने का कोई आधार नहीं बनता है। तदनुसार, अपीलार्थी द्वारा दायर अभियोग आवेदन, अंतर.आ. सं. 4809/2017 को खारिज कर दिया गया था। विद्वान एकल न्यायाधीश ने अपीलार्थी को विधिक मुद्दे पर बहस करने की आज्ञा दी कि क्या परीक्षण मामला परिसीमा द्वारा वर्जित है या नहीं। विद्वान एकल न्यायाधीश ने, तर्कों को सुनने के बाद, आक्षेपित आदेश द्वारा, अपीलार्थी द्वारा उठाई गई आपत्तियों को खारिज कर दिया और अभिनिर्धारित किया कि परीक्षण मामला परिसीमा द्वारा वर्जित नहीं है। इसके परिणामस्वरूप वर्तमान अपील दायर की गई।

<u>अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुतियाँ</u>

12. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि विषयगत संपत्ति श्रीमती संतोष मोंगिया द्वारा पहले ही अपीलार्थी के पिता श्री राम प्रकाश अग्रवाल को मूल्यवान प्रतिफल हेतु विक्रय कर दी गई थी और इसलिए, यह किसी भी प्रशासन पत्र की विषय-वस्तु नहीं हो सकती।

13. उन्होंने प्रस्तुत किया कि स्वर्गीय श्रीमती संतोष मोंगिया ने एक पंजीकृत साधारण मुख़्तारनामे के माध्यम से अपीलार्थी के पिता को अपना न्यायवादी नियुक्त किया था। स्वर्गीय श्रीमती संतोष मोंगिया ने अपने लिए और अपने भाई स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश चोपड़ा की ओर से अपीलार्थी के पिता के पक्ष में एक विक्रय करार भी निष्पादित किया था।

14. उन्होंने प्रस्तुत किया कि भले ही विषयगत संपत्ति का कब्ज़ा अपीलार्थी के पिता को सौंप दिया गया था, श्रीमती संतोष मोंगिया का संपत्ति में रहना अनुज्ञात किया गया था, जिसे उसने अपनी मृत्यु तक जारी रखा। अपीलार्थी को दस्तावेजों के निष्पादन के विषय में श्री राम प्रकाश अग्रवाल की मृत्यु के बाद ही पता चला, जब ये दस्तावेज़ उसकी निजी अलमारी में पाए गए। दिनांक 02.05.2014 को श्री राम प्रकाश अग्रवाल की मृत्यु के बाद, विषयगत संपत्ति अपीलार्थी और अन्य विधिक उत्तराधिकारियों को अंतरित हो गई, जिन्होंने अपीलार्थी के पक्ष में दिनांक 01.08.2014 को एक त्याग विलेख निष्पादित किया।

15. उन्होंने प्रस्तुत किया कि आक्षेपित आदेश से, अपीलार्थी को विषयगत संपत्ति से संबंधित दावे के संबंध में उपचारहीन छोड़ दिया गया है, क्योंकि सि.वा. (मू.प.) 322/2018 का वाद, अपीलार्थी द्वारा घोषणा और व्यादेश हेतु दायर किया गया था, पहले ही खारिज कर दिया गया, जैसा कि वापस ले लिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि वाद की वापसी, किसी भी प्रकार से, परीक्षण

मामले में अभियोजित करने हेतु आवेदन के भाग्य का निर्णय नहीं कर सकती, क्योंकि दोनों कार्यवाही का दायरा पूर्ण रूप से भिन्न है।

16. आगे यह प्रस्तुत किया गया कि अपीलार्थी का मृतक की संपदा में एक चेतावनी योग्य हित है क्योंकि उसका पिता, स्वर्गीय श्रीमती संतोष मोंगिया से संपत्ति का वास्तविक खरीदार था और यदि प्रशासन-पत्र अनुदत्त किया जाता है तो उसके अधिकार और हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। उसने यह भी कहा कि कोई भी व्यक्ति, जिसकी मृतक की संपत्ति में थोड़ा-सा भी हित है, वह मृतक की संपत्ति के संबंध में प्रशासन पत्र के अनुदान का विरोध करने का हकदार है।

17. उन्होनें ***कैलाश वोहरा बनाम राज्य व अन्य:2021 एससीसी ऑनलाइन डेल 4695; जी. गोपाल बनाम सी भास्कर और अन्य: (2008) 10 एससीसी 489*** के निम्नलिखित निर्णयों पर निर्भरता रखी, और प्रतिवाद किया कि मृतक से संपत्ति का खरीदार, मृतक की संपत्ति के संबंध में दायर एक वसीयती मामले में अभियोजित करने हेतु आवेदन दायर करने का हकदार होगा, यदि उस संपत्ति हेतु प्रशासन पत्र मांगा गया है जिसके बारे में उसका दावा है कि उसे पहले ही बेच दिया गया है।

18. आगे यह प्रतिवाद किया गया कि तत्काल परीक्षण मामला परिसीमा द्वारा वर्जित है। अपीलार्थी के अधिवक्ता ने कहा कि दिनांक 11.02.2004 को मृतक की मृत्यु पर प्रशासन-पत्र हेतु आवेदन करने का अधिकार है, यद्यपि, श्रीमती संतोष मोंगिया और श्री धर्मजीत मोंगिया की विषयगत संपत्ति में अपने हित का

दावा करने वाले पक्षकारगण ने दिनांक 15.01.2015 को याचिका दायर की थी, जो परिसीमा अवधि से परे है, और वह स्पष्ट रूप से परिसीमा द्वारा वर्जित है।

<u>प्रत्यर्थीगण की ओर से प्रस्तुतियाँ</u>

19. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी सं. 2 से 4 और प्रत्यर्थी सं. 9 से 12 हेतु विद्वान अधिवक्ता सुश्री बीनाशॉ एन. सोनी ने दृढ़तापूर्वक प्रतिवाद किया कि अपीलार्थी विषयगत संपत्ति हेतु पूर्ण रूप से पर व्यक्ति है और प्रशासन-पत्र के अनुदान के संबंध में, मृतक श्रीमती संतोष मोंगिया और श्री धर्मजीत मोंगिया के विधिक उत्तराधिकारियों के पक्ष में कोई आपत्ति नहीं उठा सकता है।

20. उन्होनें कहा कि अपीलार्थी एक अपंजीकृत विक्रय करार के आधार पर संपत्ति का स्वामी होने का दावा करता है, जो विधि की दृष्टि में स्वामित्व का वैध दस्तावेज नहीं है।

21. प्रत्यर्थीगण के अधिवक्तागण द्वारा यह भी प्रस्तुत किया गया कि अपीलार्थी ने विषयगत संपत्ति के संबंध में घोषणा की डिक्री का दावा करते हुए वाद दायर किया था, परंतु अशर्त इसे वापस ले लिया। अपीलार्थी को वाद वापस लेने के बाद, अप्रत्यक्ष रूप से विषयगत संपत्ति पर कोई दावा करना अनुज्ञात नहीं किया जा सकता।

22. यह प्रस्तुत किया गया कि अपीलार्थी का विषयगत संपत्ति में कोई चेतावनी योग्य हित नहीं है और इस प्रकार, उसे तत्काल परीक्षण मामले में अभियोजित नहीं किया जा सकता।

23. आगे यह प्रस्तुत किया गया कि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 (इसके बाद '**उत्तराधिकार अधिनियम**') की धारा 283 के संबंध में दायरा ***कृष्ण कुमार बिड़ला बनाम राजेंद्र सिंह लोढ़ा व अन्य: (2008) 4 एससीसी 300*** के मामले में माननीय शीर्ष न्यायालय द्वारा आधिकारिक तौर पर निर्धारित किया गया है। विक्रय करार हेतु संपत्ति में अधिकार का दावा करने वाले व्यक्ति के पास प्रशासन पत्र के अनुदान हेतु आवेदन का विरोध करने का कोई सुने जाने का अधिकार नहीं है।

24. आगे यह प्रस्तुत किया गया कि जबकि प्रोबेट न्यायालय ने प्रशासन-पत्र अनुदत्त करने की याचिका पर सुनवाई करते हुए, संपत्ति के स्वामित्व पर न्यायनिर्णयन नहीं किया। प्रशासन पत्र हेतु याचिका में अभियोग आवेदन दायर करके अपीलार्थी का संपत्ति पर अधिकार का दावा करना अनुज्ञात नहीं किया जा सकता।

25. प्रत्यर्थीगण हेतु विद्वान अधिवक्तागण ने दृढ़तापूर्वक कहा कि परीक्षण मामले में याचिका दायर करने में कोई विलंब नहीं हुआ है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि परिसीमा की अवधि केवल उस तिथि से चलेगी जब पक्षकारगण हेतु प्रशासन पत्र मांगना आवश्यक हो जाएगा। उन्होंने ***कुंवरजीत सिंह खंडपुर बनाम***

किरणदीप कौर व अन्य: **एआईआर 2008 एससी 2058** के मामले में माननीय शीर्ष न्यायालय द्वारा पारित निर्णय पर निर्भरता रखी।

<u>विश्लेषण</u>

26. यह विवादित नहीं है कि अपीलार्थी ने सि.वा. (मू.प.) 322/2018 के अंतर्गत एक ठोस वाद दायर किया था, जिसमें विषयगत संपत्ति के संबंध में घोषणा और स्थायी व्यादेश का दावा किया गया था। वाद में अपीलार्थी ने विषयगत संपत्ति पर अधिकार और स्वामित्व का दावा करते हुए कहा कि संपत्ति उसके पिता ने स्वर्गीय श्रीमती संतोष मोंगिया से खरीदी थी। यह दावा किया गया कि श्रीमती संतोष मोंगिया ने अपीलार्थी के पिता के पक्ष में दिनांक 14.11.1995 को एक विक्रय करार, एक साधारण मुख्तारनामा और एक रसीद निष्पादित की थी। अपीलार्थी ने विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष कुछ दलीलों के बाद उक्त वाद अशर्त वापस ले लिया था। विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 09.07.2018 का आदेश इस प्रकार है:

> *"अंतिम आदेश के अनुसरण में, श्री कवलजीत सिंह अरोड़ा, अति.जि.न्या. के समक्ष द्वारका न्यायालय में लंबित 'विनोद कुमार अग्रवाल बनाम आशा मोंगिया' शीर्षक से घोषणा और अनिवार्य व्यादेश हेतु वाद सं.260/2018 प्राप्त हो गया है। रजिस्ट्री को इसे पुनः दर्ज करने का निर्देश दिया गया है।*
>
> *कुछ तर्कों के बाद, वादी के विद्वान अधिवक्ता-विनोद कुमार अग्रवाल वर्तमान वाद वापस लेना चाहते हैं। परिणामस्वरुप, वाद और लंबित आवेदन वापस लिए गए मानकर खारिज किए जाते हैं।"*

27. इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी, किसी भी अन्य कार्यवाही में, विषयगत संपत्ति में अपने स्वामित्व की घोषणा के प्रभाव हेतु कोई आदेश नहीं मांग सकता है। इस निर्णय के अगले भाग में इस पर विस्तार से चर्चा की गई है।

28. अंतर.आ. सं. 4809/2017 में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 09.07.2018 के एक अन्य आदेश द्वारा, अपीलार्थी को विधिक मुद्दे के संबंध में ***कुँवरजीत सिंह खंडपुर बनाम किरणदीप कौर एवं अन्य*** *(पूर्वोक्त)* में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए न्यायालय की सहायता करने के लिए सीमित स्वतंत्रता दी गई थी कि क्या परीक्षण मामला परिसीमा से वर्जित है। अपीलार्थी ने दिनांक 09.07.2018 के उपरोक्त आदेश को चुनौती नहीं दी है, जिसने परिसीमा के संबंध में मुद्दे पर तर्कों को संबोधित करने के लिए अपीलार्थी के दायरे को सीमित कर दिया है।

29. चूँकि अपीलार्थी को विधिक मुद्दे पर न्यायालय की सहायता करने के लिए अंतर.आ. सं. 4809/2017 में सीमित स्वतंत्रता दी गई थी कि क्या परीक्षण मामले को परिसीमा से वर्जित किया गया था, विद्वान एकल न्यायाधीश ने दलीलें सुनने के बाद, अपीलार्थी द्वारा उठाई गई आपत्तियों को खारिज कर दिया। यद्यपि, हम विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा की गई टिप्पणियों से सहमत नहीं हैं कि चूंकि अपीलार्थी द्वारा घोषणा और व्यादेश हेतु दायर वाद पहले ही वापस ले लिया गया है, इसलिए अभियोजित करने का कोई आधार शेष नहीं है।

30. उत्तराधिकार अधिनियम अपने आप में एक पूर्ण संहिता है और उक्त अधिनियम के अंतर्गत कोई भी न्यायनिर्णयन केवल प्रशासन पत्र अनुदत्त करने या अस्वीकार करने तक ही सीमित है। किसी संपत्ति के स्वामित्व के संबंध में किसी भी व्यक्ति द्वारा शुरू की गई कोई अन्य कार्यवाही, उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत ऐसी कार्यवाही से स्वतंत्र है। अपीलार्थी, हमारी राय में, किसी भी संपत्ति पर स्वामित्व का दावा करने के लिए वाद दायर करने का हकदार था। तथ्य यह है कि उक्त वाद वापस ले लिया गया था, जो कि अभियोजित करने हेतु आवेदन पर निर्णय लेने के उद्देश्य से प्रासंगिक नहीं हो सकता था, जिसे अपने गुणागुण के आधार पर निर्णीत किया जाना था।

31. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, अपीलार्थी को अपने आवेदन अंतर.आ. सं. 4809/2017 में तर्कों को संबोधित करने का सीमित अधिकार अनुदत्त किया गया था, और विद्वान एकल न्यायाधीश ने इस पर विचार किया है। वर्तमान अपील का दायरा यह परीक्षण करने तक सीमित है कि क्या परीक्षण मामले के संबंध में अपीलार्थी द्वारा उठाई गई आपत्ति, परिसीमा से वर्जित होने के कारण, वैध रूप से पोषणीय है।

32. यद्यपि, चूंकि वर्तमान अपील में, दोनों पक्षकारगण द्वारा चेतावनी योग्य हित की व्याख्या के संबंध में विस्तृत दलीलें दी गई हैं, इसलिए हम उक्त मुद्दे का परीक्षण करना उचित समझते हैं।

33. यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु निर्वसीयती हो जाती है, तो उसकी संपदा का प्रशासन किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता है, जो संपत्ति के वितरण के नियमों के अनुसार, मृतक की पूरी संपदा या उसके किसी हिस्से का हकदार होगा। प्रशासन-पत्र प्रशासक को निर्वसीयती मरने वाले व्यक्ति से संबंधित सभी अधिकारों, स्वामित्व और हितों का अधिकार देता है।

34. मृतक की संपत्ति में किसी भी प्रकार का हित होने का दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति को प्रशासन-पत्र प्रदान करने की कार्यवाही में भाग लेना अनुज्ञात है। संपदा में रुचि रखने वाला व्यक्ति प्रोबेट या प्रशासन-पत्र के अनुदान के विरुद्ध कैविएट दायर करने का हकदार है।

35. प्रशासन पत्र हेतु आवेदन उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 278 के अंतर्गत दायर किया जाता है। ऐसे आवेदन का प्रारूप उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 278 की उपधारा (1) में प्रदान किया गया है।

उक्त धारा नीचे पुनः प्रस्तुत की गई है:

> ***"धारा 278. प्रशासन-पत्र हेतु याचिका।***
>
> *(1) प्रशासन-पत्र हेतु आवेदन उपरोक्तानुसार स्पष्ट रूप से लिखी गई याचिका द्वारा किया जाएगा और जिसमें कहा गया है: -*
>
> *(क) मृतक की मृत्यु का समय और स्थान;*
>
> *(ख) मृतक के परिवार या अन्य रिश्तेदार और उनके संबंधित निवास;*
>
> *(ग) वह अधिकार जिसमें याचिकाकर्ता दावा करता है;*
>
> *(घ) आस्ति की राशि जो याचिकाकर्ता के हाथों में आने की संभावना है;*

(ङ) जब जिला न्यायाधीश को आवेदन दिया जाता है कि मृतक का मृत्यु के समय निवास का एक निश्चित स्थान था, या उसकी कुछ संपत्ति थी, जो न्यायाधीश के क्षेत्राधिकार में स्थित थी; और
(च) जब आवेदन किसी जिला प्रतिनिधि के पास हो कि मृतक की मृत्यु के समय उस प्रतिनिधि के क्षेत्राधिकार में एक निश्चित निवास स्थान था।

36. उत्तराधिकार अधिनियम को एक स्व-निहित संहिता माना जाता है। यह स्थापित विधि है कि प्रोबेट या प्रशासन पत्र हेतु आवेदन पर निर्णय लेते समय न्यायालय का क्षेत्राधिकार केवल आवेदन की सामग्री पर विचार करने तक ही सीमित है। न्यायालय, उस स्तर पर, उन संपत्तियों के स्वामित्व के प्रश्न पर विचार नहीं करता है, जिनके लिए प्रोबेट या प्रशासन-पत्र मांगा गया है।

37. किसी अन्य व्यक्ति के अधिकार, स्वामित्व और हित के संबंध में कोई भी न्यायनिर्णयन, उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करने वाले न्यायालय के क्षेत्र से परे है।

38. माननीय उच्चतम न्यायालय ने, ***कृष्ण कुमार बिड़ला बनाम राजेंद्र सिंह लोढ़ा व अन्य*** *(पूर्वोक्त)* के मामले में, विधि का विस्तार से परीक्षण किया और अभिनिर्धारित किया था कि एक चेतावनी योग्य हित दर्शाया जाना चाहिए और इसे लागू करने के लिए आवश्यक परीक्षण यह है कि क्या प्रोबेट देने का दावा उसके अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है क्योंकि यह उत्तराधिकार की किसी अन्य पद्धति को विफल करता है जिसके संदर्भ में केविएटकर्ता अपने अधिकार का दावा करता है। यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि जो कुछ भी

वसीयतकर्ता का हित होगा, उसे स्वीकार किया जाना चाहिए और संपत्ति के संबंध में स्वामित्व के अस्तित्व पर सवाल उठाने वाला व्यक्ति या उत्तराधिकार विधि के बाहर के आधार पर वसीयत द्वारा संपत्ति का निपटान करने के लिए वसीयतकर्ता की क्षमता, प्रोबेट कार्यवाही के लिए पर व्यक्ति की होगी, चूंकि इस प्रकार के किसी भी अधिकार का उसमें प्रभावी रूप से न्यायनिर्णयन नहीं किया जा सकता है।

39. यह अभिनिर्धारित किया गया कि ऐसी कार्यवाहियों में दिए गए निर्णय हालांकि *सर्वबंधी* निर्णय हैं परंतु उनका उपयोजन सीमित है। वे स्वामित्व के प्रश्न के निर्धारक नहीं हैं। उक्त निर्णय के प्रासंगिक उद्धरण इस प्रकार हैं: -

> *"84. 1925 अधिनियम की धारा 283 न्यायालय को कार्यवाही देखने के लिए कुछ व्यक्तियों को आमंत्रित करने का विवेकाधिकार प्रदान करती है।*
>
> *वे कौन हैं? उनका मृतक की संपदा में हित होना चाहिए। जो व्यक्ति कार्यवाही में शामिल होने के लिए प्रार्थना करते हैं, वे यह कहने के बावजूद ऐसा नहीं कर सकते कि उनका मृतक की संपदा में कोई हित नहीं है। वे ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जिनका मृतक द्वारा छोड़ी गई संपदा में हित हो। कोई हित व्यापक हो सकता है परंतु ऐसा हित ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका प्रभाव वसीयतकर्ता की संपदा को नष्ट करने पर न हो। अन्य बातों के साथ-साथ उस मामले में वाद दायर करने पर विचार किया जाता है जहां संपदा के उत्तराधिकार से संबंधित प्रश्न उठता है।*
>
> *85. उदाहरण के तौर पर, हम देख सकते हैं कि एक वसीयतकर्ता ने विक्रय करार किया होगा, जो विक्रेता को संविदा के विशिष्ट प्रदर्शन हेतु वाद दायर करने का अधिकार प्रदान करता है। यद्यपि, इसके आधार पर, एक चेतावनी योग्य हित नहीं बनता है, क्योंकि इस प्रकार का करार निष्पादक पर, यदि प्रोबेट दिया जाता है, और मृतक के उत्तराधिकारियों और विधिक*

प्रतिनिधियों पर, यदि इसे अस्वीकार कर दिया जाता है, दोनों पर बाध्यकारी होगा।

86. विधि की जो प्रतिपादनाएं हमारे विचार से इस प्रकृति के मामले में लागू की जा सकती हैं वे हैं:

(i) एक केविएट को बनाए रखने के लिए, एक चेतावनी योग्य हित दर्शाया जाना चाहिए।

(ii) उपयोजित करने के लिए आवश्यक परीक्षण है:क्या प्रोबेट के अनुदान का दावा उसके अधिकार के प्रति पूर्वाग्रह रखता है क्योंकि यह उत्तराधिकार की किसी अन्य पद्धति को विफल करता है जिसके संदर्भ में कैविएटकर्ता ने अपने अधिकार का दावा किया था?

(iii) प्रोबेट कार्यवाही की यह मौलिक प्रकृति है कि जो भी वसीयतकर्ता का हित होगा, उसे स्वीकार किया जाना चाहिए और उसमें निर्धारित नियमों का पालन किया जाना चाहिए। इसका तार्किक परिणाम यह होगा कि उत्तराधिकार विधि के बाहर के आधार पर वसीयत द्वारा संपत्ति का निपटान करने के लिए वसीयतकर्ता की संपदा या क्षमता के संबंध में स्वामित्व के अस्तित्व पर सवाल उठाने वाला कोई भी व्यक्ति प्रोबेट कार्यवाही के लिए पर व्यक्ति होगा, जितना कि इस प्रकार के अधिकारों में से कोई भी प्रभावी रूप से उसमें न्यायनिर्णीत नहीं किया जा सकता है।"

40. दिनांक 31.03.2008 को ***कृष्ण कुमार बिड़ला बनाम राजेंद्र सिंह लोढ़ा व अन्य*** (पूर्वोक्त) में दिए गए निर्णय के अनुसार, माननीय उच्चतम न्यायालय ने ***जी. गोपाल बनाम सी. भास्कर और अन्य*** (पूर्वोक्त) में दिनांक 03.09.2008 के एक अन्य निर्णय में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया: -

"यह स्थिति होने के कारण, हमें यह अभिनिर्धारित करना चाहिए कि प्रत्यर्थीगण के पास वसीयतकर्ता की संपत्ति में चेतावनी योग्य हित थे और इसलिए, वे अंतिम आदेश पारित होने से पहले सेवा पाने के हकदार हैं। यह सुस्थापित है कि यदि कोई व्यक्ति जिका वसीयतकर्ता की संपदा में थोड़ा-सा

भी हित है, तो वह कैविएट दायर करने और वसीयतकर्ता की विल की प्रोबेट देने का विरोध करने का हकदार है।

41. ऐसा प्रतीत होता है कि इस मामले में माननीय शीर्ष न्यायालय ने ***कृष्ण कुमार बिड़ला बनाम राजेंद्र सिंह लोढ़ा व अन्य*** (पूर्वोक्त) के मामले में पारित निर्णय पर ध्यान नहीं दिया और अभिनिर्धारित किया था कि एक वसीयतकर्ता का संपदा में थोड़ा-सा भी हित एक व्यक्ति को केविएट दायर करने और वसीयतकर्ता की वसीयत के प्रोबेट के अनुदान को चुनौती देने का हकदार बनाएगी।

42. माननीय शीर्ष न्यायालय ने बाद में ***जगजीत सिंह और अन्य बनाम पामेला मनमोहन सिंह:*** **(2010) 5 एससीसी 157** के मामले में दिनांक 10.03.2010 के अपने निर्णय में कहा कि ***कृष्ण कुमार बिड़ला बनाम राजेंद्र सिंह लोढ़ा व अन्य (पूर्वोक्त)*** और ***जी गोपाल बनाम सी भास्कर और अन्य (पूर्वोक्त)*** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा लिए गए विचार परस्पर विरोधी थे और इस मुद्दे को एक वृहत पीठ द्वारा विचार किए जाने के लिए भेजा गया था। इसके बाद ***जगजीत सिंह और अन्य बनाम पामेला मनमोहन सिंह (पूर्वोक्त)*** का उक्त मामला अपीलार्थीगण द्वारा वापस ले लिया गया था और इसलिए, ऐसा प्रतीत होता है कि आज तक माननीय उच्चतम न्यायालय की वृहत पीठ के समक्ष कोई संदर्भ लंबित नहीं है।

43. ऐसी परिस्थितियों में, ***नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी***: **(2017) 16 एससीसी 680** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांत पर ध्यान देना उचित होगा। जो इस प्रकार है:

"16. वर्तमान में, हम कुछ निर्णयों का उल्लेख कर सकते हैं जो बाध्यकारी पूर्व न्याय की अवधारणा से संबंधित हैं।

17. बिहार राज्य बनाम कालिका कुएर उर्फ कालिका सिंह और अन्य में, यह अभिनिर्धारित किया गया: -

"10. ..... एक पूर्व निर्णय एक समन्वय क्षेत्राधिकार की एक पीठ के लिए गलत लग सकता है, बाद में प्रश्न पर विचार करते हुए, इस आधार पर कि मामले के संभावित पहलू पर विचार नहीं किया गया था या न्यायालय के समक्ष नहीं उठाया गया था या इससे भी अधिक पहलुओं पर न्यायालय को पहले ही मामले पर निर्णय लेना चाहिए था, परंतु यह कहने का कोई कारण नहीं होगा कि निर्णय गलत तरीके से दिया गया था और इसकी अवज्ञा की जा सकती थी। हो सकता है कि पहले का निर्णय सही न हो, फिर भी समन्वित क्षेत्राधिकार की बाद की पीठ पर इसका बाध्यकारी प्रभाव पड़ेगा। ..."

न्यायालय ने आगे न्यादेश दिया-

"10. ..... यह कहने का आसान तरीका कि पहले का निर्णय अनवधानता के कारण किया गया था, स्वीकार्य नहीं है और मामले को केवल दो तरीकों से हल करना होगा - या तो पहले के निर्णय का पालन करना होगा या मामले की जांच के लिए मामले को एक वृहत पीठ के पास भेजना होगा, यदि ऐसा महसूस किया गया है कि पहले का निर्णय गुणागुण के आधार पर सही नहीं था।"

18. जी.एल. बत्रा बनाम हरियाणा राज्य और अन्य में, न्यायालय ने भारत संघ बनाम गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड, सुंदरजस कन्यालाल भटीजा बनाम कलेक्टर, ठाणे, महाराष्ट्र और त्रिभोवंदास पुरषोत्तमदास ठक्कर

बनाम रतिलाल मोतीलाल पटेल में दिए गए इस न्यायालय के निर्णयों के आधार पर उक्त सिद्धांत को स्वीकार किया है। यहां यह ध्यान दिया जा सकता है कि मद्रास बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ और अन्य मामले में संविधान पीठ ने स्पष्ट रूप से कहा है कि भारत संघ बनाम मद्रास बार एसोसिएशन में पूर्व संविधान पीठ का निर्णय एक बाध्यकारी पूर्व निर्णय है। यह स्पष्ट किया जाए कि जिन मुद्दों को पहले की संविधान पीठ के निर्णय में शांत कर दिया गया था, उन्हें बाद की संविधान पीठ ने उदाहरण के रूप में माना।"

44. इसलिए, हम ***कृष्ण कुमार बिड़ला बनाम राजेंद्र सिंह लोढ़ा व अन्य*** (*पूर्वोक्त*) मामले में माननीय शीर्ष न्यायालय द्वारा निर्धारित विधि का पालन करने के लिए बाध्य हैं।

45. माननीय शीर्ष न्यायालय ने, पैराग्राफ 88 में, एक दृष्टांत के माध्यम से कहा हो सकता है कि एक वसीयतकर्ता ने विक्रय करार किया हो, जो विक्रेता को विशिष्ट संविदा के प्रदर्शन हेतु वाद दायर करने का अधिकार प्रदान करता है, यद्यपि, इससे विक्रेता के पक्ष में कोई चेतावनी योग्य हित नहीं बनता है। यदि प्रोबेट अनुदत्त हो जाता है तो ऐसा करार निष्पादक पर बाध्यकारी होगा, तथा यदि ऐसा करने से इनकार कर दिया जाता है तो यह मृतक के उत्तराधिकारियों और विधिक प्रतिनिधियों पर भी बाध्यकारी होगा। इसलिए, कोई भी अधिकार, स्वामित्व या हित, जो व्यक्ति ऐसे दस्तावेजों के माध्यम से दावा करता है, केवल इस कारण से विक्षुब्ध नहीं करता कि मृतक की संपत्ति के संबंध में एक प्रोबेट या प्रशासन पत्र प्रदान किया जाता है, जिसमें संपत्ति भी शामिल हो सकती है जैसा कि ऐसे विक्रेता द्वारा दावा किया गया है। ऐसा कोई भी अधिकार

प्रोबेट या प्रशासन-पत्र के किसी भी अनुदान से प्रभावित या पूर्वाग्रहित नहीं होता है।

46. वर्तमान मामले में, अपीलार्थी का दावा है कि उसने विक्रय करार, साधारण मुख्तारनामे और रसीद के निष्पादन के आधार पर संपत्ति में कुछ हित और अधिकार हासिल कर लिया है। यह विवादित नहीं है कि अपीलार्थी के पिता के पक्ष में कोई विक्रय विलेख निष्पादित नहीं किया गया था।

47. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का प्रतिवाद है कि अपीलार्थी के पिता के पक्ष में निष्पादित दस्तावेज़ ***सूरज लैंप एंड इंडस्ट्रीज बनाम हरियाणा राज्य और अन्यः*** **(2012) 1 एससीसी 656** के मामले में माननीय शीर्ष न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से पूर्व के थे। माननीय शीर्ष न्यायालय ने, उक्त मामले में, यह अभिनिर्धारित किया कि साधारण मुख्तारनामे के माध्यम से लेनदेन कोई स्वामित्व नहीं बताते हैं और न्यायालय ऐसे लेनदेन को पूर्ण और संपन्न हस्तांतरण के रूप में नहीं मानेगा। ***सूरज लैंप एंड इंडस्ट्रीज बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (सुप्रा)*** के मामले में पारित निर्णय को ***माया देवी बनाम लालता प्रसादः*** **(2015) 5 एससीसी 588** में संभावित प्रभाव माना गया था।

48. जहां तक साधारण मुख्तारनामे के धारक के संबंध में विधि का प्रश्न है तो इसका कोई विग्रह नहीं है। यह सच है कि विक्रय करार, साधारण मुख्तारनामे और रसीद जैसे दस्तावेजों के धारक के पास संपत्ति में कुछ अधिकार या हित हो सकते हैं। यद्यपि, उक्त अधिकारों का न्यायनिर्णयन उपयुक्त न्यायालय द्वारा

किया जा सकता है जो एक सिविल न्यायालय है और उत्तराधिकार अधिनियम के संदर्भ में शक्ति का प्रयोग करने वाले न्यायालय द्वारा न्यायनिर्णयन हेतु विवाद की विषय-वस्तु नहीं है। क्या साधारण मुख्तारनामे या उसके पिता के पक्ष में विक्रय करार के आधार पर अपीलार्थी के पक्ष में कोई अधिकार आया है, उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत न्यायालय द्वारा इसका न्यायनिर्णयन नहीं किया जा सकता है।

49. उत्तराधिकार अधिनियम के संदर्भ में शक्ति का प्रयोग करने वाला न्यायालय इस मुद्दे पर नहीं जा सकता है कि क्या कथित साधारण मुख्तारनामा प्रतिसंहरणीय या अप्रतिसंहरणीय है और क्या अपीलार्थी के कब्जे में विद्यमान दस्तावेजों से कोई अधिकार, स्वामित्व या हित प्रवाहित होता है। यह विवादित नहीं है कि अपीलार्थी के पक्ष में श्रीमती संतोष मोंगिया या डीडीए, जो विषयगत संपत्ति का प्रमुख पट्टाकर्ता है, द्वारा कोई अभिहस्तांतरण-पत्र निष्पादित नहीं किया गया है।

50. इस प्रकार, ***अनूप कुमार अग्रवाल बनाम शांति सरूप चौहान*** **2018 एससीसी ऑनलाइन डेल 10185** के मामले में अपीलार्थी द्वारा रखी गई निर्भरता गलत है। उक्त मामले में, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया था कि एक बार जब वादी ने संपत्ति पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया, तो यह प्रतिवादी का अभिवचन होगा कि वह संपत्ति पर कब्ज़ा बनाए रखने के लिए अपना अधिकार, यदि कोई हो, प्रमाणित करे। जैसा कि ऊपर कहा गया है, यदि

अपीलार्थी का कोई अधिकार है, तो उसे उपयुक्त न्यायालय के समक्ष, जो कि वर्तमान मामले में एक सिविल न्यायालय है, विरोध करना होगा।

51. अपीलार्थी को विषयगत संपत्ति के संबंध में घोषणा और व्यादेश हेतु दायर सि.वा. (मू.प.) 322/2018 वाद वापस लेने के बाद, प्रोबेट और प्रशासन-पत्र के अनुदान के संबंध में कार्यवाही में अप्रत्यक्ष रूप से उसी दावे को चुनौती देना अनुज्ञात नहीं किया जा सकता। अपीलार्थी के पास, सबसे अच्छा, एक वाद दायर करने का दावा था जिसे दायर किया गया परंतु वापस ले लिया गया था। अपीलार्थी मृतक की संपत्ति में किसी भी हित का दावा नहीं कर रहा है, परंतु दावा करता है कि आस्ति मृत्यु से पहले ही बेची जा चुकी थी।

52. उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 278 के अंतर्गत एक आवेदन में न्यायालय द्वारा पारित कोई भी आदेश मृतक की संपदा हेतु प्रशासक नियुक्त करने के उद्देश्य से होगा। यह किसी भी प्रकार से उस अधिकार, स्वामित्व या हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालता है, जो किसी तीसरे व्यक्ति ने उक्त संपदा पर अर्जित किया हो।

53. इसलिए, हमारी राय है कि अपीलार्थी का कोई चेतावनी योग्य हित नहीं है और उसे तत्काल परीक्षण मामले में अभियोजित किए जाने का कोई अधिकार नहीं है।

54. जहां तक इस मुद्दे का सवाल है कि क्या तत्काल वसीयती मामला परिसीमा द्वारा वर्जित है, अपीलार्थी द्वारा यह प्रतिवाद किया गया है कि श्रीमती संतोष मोंगिया और श्री धर्मजीत मोंगिया की मृत्यु दिनांक 11.02.2004 को हुई थी, परंतु तत्काल वसीयती मामला केवल वर्ष 2015 में दायर किया गया था। अपीलार्थी ने आगे प्रतिवाद किया कि परिसीमा अधिनियम, 1963 (इसके बाद '**परिसीमा अधिनियम**') का अनुच्छेद 137, प्रशासन-पत्र पर लागू होता है, जो तीन वर्ष के बाद याचिका दायर करने पर निर्बंधन लगाता है। परिसीमा अधिनियम का अनुच्छेद 137 इस प्रकार है:

"137.	*कोई अन्य आवेदन जिसकी कोई सीमा अवधि इस प्रभाग में अन्यत्र प्रदान नहीं की गई है।*	*तीन वर्षों जब आवेदन करने का अधिकार प्रोद्भूत होता है।"*

55. परिसीमा अधिनियम का अनुच्छेद 137 स्पष्ट रूप से प्रदान करता है कि कोई भी आवेदन जिसके लिए कहीं और कोई परिसीमा अवधि प्रदान नहीं की गई है, परिसीमा की अवधि तीन वर्ष मानी जाएगी और वह अवधि तब से शुरू होगी जब आवेदन करने का अधिकार प्रोद्भूत होता है। वर्तमान मामले में, यह अवधि मृतक की मृत्यु से शुरू नहीं होती है, किंतु तब शुरू होती है जब प्रशासन-पत्र हेतु आवेदन करने का कारण प्रोद्भूत होता है। आवेदन करने के अधिकार की व्याख्या उस अधिकार के रूप में की गई है जो तब प्रोद्भूत होता है

जब किसी पक्षकार हेतु आवेदन करना आवश्यक हो जाता है, जो कि मृतक की मृत्यु की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के भीतर नहीं हो सकता है।

56. हम विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा अपनाए गए विचार से सहमत हैं कि प्रशासन-पत्र अनुदत्त करने के लिए वसीयती मामला मृत्यु की तिथि से तीन वर्ष के भीतर दायर करने की आवश्यकता नहीं है, किंतु इसे उस तिथि से तीन वर्ष के भीतर दायर किया जाता है जब इसे दायर करने की आवश्यकता उद्भूत होती है। विद्वान एकल न्यायाधीश ने ***कुंवरजीत सिंह खंडपुर बनाम किरणदीप कौर व अन्य*** (*पूर्वोक्त*) में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर सही निर्भरता रखी। उस मामले में, माननीय शीर्ष न्यायालय ने प्रशासन-पत्र हेतु आवेदन के संबंध में परिसीमा अधिनियम के अनुच्छेद 137 की प्रयोज्यता की व्याख्या करते हुए निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

> *"13. परिसीमा अधिनियम का अनुच्छेद 137 इस प्रकार है;*
> *"137. आवेदन का विवरण: कोई अन्य आवेदन जिसके लिए इस प्रभाग में कहीं और कोई परिसीमा अवधि प्रदान नहीं की गई है।*
> *परिसीमा की अवधि: तीन वर्ष*
> *जिस समय से अवधि शुरू होती है:जब आवेदन करने का अधिकार प्रोद्भूत होता है"*
> *याचिका में महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति "आवेदन करने का अधिकार" है। इस न्यायालय द्वारा जो कहा गया है, उसे ध्यान में रखते हुए, अनुच्छेद 137 स्पष्ट रूप से प्रशासन-पत्र अनुदत्त करने की याचिका पर लागू होता है। जैसा कि उच्च न्यायालय ने ऐसी कार्यवाहियों में ठीक ही कहा है, आवेदन केवल न्यायालय से कर्तव्य पालन की मान्यता चाहता है क्योंकि कार्यवाहियों की प्रकृति के कारण यह एक सतत अधिकार है। दिल्ली उच्च न्यायालय की*

खण्ड पीठ ने कई निर्णयों का उल्लेख किया। उनमें से एक एस. कृष्णास्वामी और आदि आदि बनाम ई रामैया (एआईआर 1991 मद्रास 214) थे। उक्त निर्णय के पैरा 17 में, इसे इस प्रकार नोट किया गया:

"17. किसी कार्यवाही में, या दूसरे शब्दों में, प्रोबेट या प्रशासन-पत्र अनुदत्त करने हेतु दायर आवेदन में, आवेदक द्वारा किसी अधिकार का प्राख्यान या दावा नहीं किया जाता है। आवेदक केवल कर्तव्य पालन हेतु न्यायालय से मान्यता चाहता है। सक्षम न्यायालय द्वारा जारी प्रोबेट या प्रशासन-पत्र विश्व भर में विधिक चरित्र का निर्णायक प्रमाण है। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के प्रासंगिक प्रावधानों का मूल्यांकन यह अर्थ नहीं देता है कि प्रोबेट या प्रशासन पत्र अनुदत्त करने हेतु दायर की गई कार्यवाही से, आवेदक के कोई अधिकार विधिक अर्थों में निर्धारित या सुरक्षित नहीं होते हैं।

वसीयती के लेखक ने अपनी संपदा के प्रशासन के संबंध में कर्तव्य निर्धारित किया है, और प्रोबेट या प्रशासन-पत्र हेतु आवेदक केवल उस कर्तव्य को पूरा करने के लिए न्यायालय की आज्ञा चाहता है। केवल कर्तव्य पालन हेतु न्यायालय से मान्यता की मांग है। वह कर्तव्य केवल नैतिक है, वैध नहीं है। ऐसी कोई विधि नहीं है जो आवेदक को प्रोबेट या प्रशासन-पत्र हेतु कार्यवाही दायर करने के लिए बाध्य करती हो। नैतिक कर्तव्य के निर्वहन की दृष्टि से आवेदक न्यायालय से कर्तव्य पालन की मान्यता चाहता है। यह निष्कर्ष निकालना वैध होगा कि प्रोबेट या प्रशासन-पत्र अनुदत्त करने हेतु दायर की गई कार्यवाही वैध कार्रवाई नहीं है। इसलिए, परिसीमा अधिनियम, 1963 के अनुच्छेद 137 के अंतर्गत 'आवेदन' के अर्थ में आने वाले आवेदनों के रूप में प्रोबेट या प्रशासन-पत्र अनुदत्त करने की कार्यवाही को समझना बहुत मुश्किल है और ऐसा नहीं होगा।"

14. हालाँकि उच्च न्यायालय द्वारा याचिका की प्रकृति का सही वर्णन किया गया है, परंतु यह मानना सही नहीं था कि प्रोबेट या प्रशासन-पत्र अनुदत्त करने का आवेदन परिसीमा अधिनियम के अनुच्छेद 137 के अंतर्गत नहीं आता है। केरल राज्य विद्युत बोर्ड (पूर्वोक्त) के मामले में जो कहा गया है, उसे ध्यान में रखते हुए यह सही नहीं है।

15. इसी प्रकार वासुदेव दौलतराम सदारंगानी बनाम सजनी प्रेम लालवानी (एआईआर 1983 बॉम.268) में बॉम्बे उच्च न्यायालय के मामले के निर्णय का संदर्भ दिया गया था। पैरा 16 इस प्रकार है:

"16. श्री दलपतराय के प्रतिविरोध को अस्वीकार करते हुए, मैं अपने निष्कर्षों को संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत करता हूं:--

क. परिसीमा अधिनियम के अंतर्गत कोई अवधि निर्धारित नहीं की गई है जिसके भीतर प्रोबेट, प्रशासन-पत्र या उत्तराधिकार प्रमाणपत्र हेतु आवेदन किया जाना चाहिए;

ख. यह धारणा कि अनुच्छेद 137 के अंतर्गत आवेदन करने का अधिकार आवश्यक रूप से मृतक की मृत्यु की तिथि पर प्रोद्भूत होता है, अनपेक्षित है;

ग. ऐसा आवेदन एक विल द्वारा बनाए गए वैध कर्तव्य को पूरा करने के लिए या एक वसीयती न्यासी के रूप में मान्यता के लिए न्यायालय की आज्ञा हेतु है और एक सतत अधिकार है जिसे मृतक की मृत्यु के बाद किसी भी समय प्रयोग किया जा सकता है, जब तक कि ऐसा करने का अधिकार बना रहता है और न्यास का उद्देश्य विद्यमान है या न्यास का कोई हिस्सा है, यदि बनाया गया है, तो निष्पादित किया जाना शेष है;

घ. <u>आवेदन करने का अधिकार तब प्रोद्भूत होगा जब आवेदन करना आवश्यक हो जाएगा, जो आवश्यक नहीं कि मृतक की मृत्यु की तिथि से 3 वर्ष के भीतर हो।</u>

ङ. मृतक की मृत्यु के बाद 3 वर्ष से अधिक का विलंब संदेह उद्भूत करेगा और जितना अधिक विलंब होगा, संदेह उतना ही अधिक होगा;

च. इस प्रकार के विलंब को स्पष्ट किया जाना चाहिए, परंतु इसे पूर्ण सीमा के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है; और (छ) एक बार

निष्पादन और अनुप्रमाण प्रमाणित हो जाने के बाद, विलंब का संदेह मान्य नहीं रह जाता है"।

निष्कर्ष 'ख' सही नहीं है जबकि निष्कर्ष 'ग' विधि की सही स्थिति है।

57. वर्तमान मामले में, प्रत्यर्थीगण ने वर्ष 2006 में विषयगत संपत्ति के नामांतरण हेतु डीडीए को आवेदन किया था। यह विवादित नहीं है कि विषयगत संपत्ति सील कर दी गई थी और लंबित प्राथमिकी के संबंध में पुलिस के कब्जे में थी। श्री धर्मजीत मोंगिया और श्रीमती संतोष मोंगिया की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो जाने के कारण प्राथमिकी दर्ज की गई थी। संपत्ति की चाबियां पुलिस ने वर्ष 2014 में ही सौंप दी थीं।

58. ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलार्थी ने प्रत्यर्थीगण के नाम पर विषयगत संपत्ति के नामांतरण के विरुद्ध डीडीए के पास आपत्तियां भी दायर की हैं। इसलिए नामांतरण का अनुरोध डीडीए के पास लंबित रहा, संभवतः इस कारण से, कि विषयगत संपत्ति को पुलिस द्वारा सील कर दिया गया था और अपीलार्थी द्वारा आपत्तियां दायर की गई थीं।

59. यह दावा किया गया है कि डीडीए के अधिकारियों ने प्रत्यर्थीगण से विषयगत संपत्ति के संबंध में प्रशासन पत्र मांगने के लिए कहा। इसलिए, तब प्रत्यर्थीगण को तत्काल परीक्षण मामला दायर करने के लिए वास्तव में आवेदन करने की आवश्यकता उत्पन्न हुई और उसके बाद, इसे दिनांक 15.01.2015 को दायर किया गया। हमारा विचार है कि दिनांक 15.01.2015 को दायर किया

गया परीक्षण मामला परिसीमा अवधि के भीतर था और परिसीमा द्वारा वर्जित नहीं था।

60. किसी प्रस्तावित प्रशासक हेतु निर्वसीयत मर चुके व्यक्ति की संपत्ति के संबंध में प्रशासन-पत्र अनुदत्त करने के लिए आवेदन दायर करना अनिवार्य नहीं है, जब वह हिंदू निर्वसीयतता से संबंधित हो। उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 212(2) इस प्रकार है:

> *"212. **निर्वसीयती की संपत्ति का अधिकार।—***
>
> *(1) निर्वसीयत मर चुके व्यक्ति की संपत्ति के किसी भी हिस्से पर कोई अधिकार किसी भी न्यायालय में स्थापित नहीं किया जा सकता है, जब तक कि प्रशासन-पत्र पहले सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय द्वारा प्रदान न किया गया हो।*
>
> *(2) यह धारा हिंदू, मुसलमान, बौद्ध, सिख, जैन, [भारतीय ईसाई या पारसी] की निर्वसीयतता के मामले में लागू नहीं होगी।"*

61. जब प्रशासन-पत्र अनुदत्त करने के लिए आवेदन अनिवार्य नहीं है, तो यह तर्क नहीं दिया जा सकता है कि आवेदन करने का अधिकार आवश्यक रूप से मृतक की मृत्यु की तिथि से तीन वर्ष के भीतर प्रोद्भूत होगा। संपदा के वितरण के नियमों के अनुसार, मृतक के विधिक उत्तराधिकारियों को मृतक की संपदा का प्रशासित करने का अधिकार विरासत में मिलता है और यह प्रशासन-पत्र के अनुदान पर निर्भर नहीं है। यद्यपि, जब ऐसे अधिकारों को किसी विभाग द्वारा मान्यता नहीं दी जाती है, तो ऐसे आवेदन दायर करने की आवश्यकता उद्भूत होती है। भविष्य में उत्पन्न होने वाले किसी भी विपरीत दावे से बचने के लिए,

विभाग कभी-कभी किसी व्यक्ति की निर्वसीयत मृत्यु होने पर विल या प्रशासन-पत्र के मामले में प्रोबेट देने पर जोर देते हैं। वर्तमान मामले में, ऐसा प्रतीत होता है कि डीडीए ने प्रशासन-पत्र के अनुदान के उत्पादन पर जोर दिया, जिसके कारण वर्ष 2015 में परीक्षण मामला दायर किया गया। नवंबर, 2014 के माह में पुलिस द्वारा उन्हें सौंपे जाने के बाद प्रत्यर्थीगण ने अपने नाम पर विषयगत संपत्ति के नामांतरण हेतु आवेदन किया था।

62. इस प्रकार, हम विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण से सहमत हैं कि वर्तमान याचिका परिसीमा द्वारा वर्जित नहीं है।

63. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान अपील गुणागुण रहित है और रु. 25,000/- के जुर्माने के साथ खारिज की जाती है।

64. सभी लंबित आवेदनों का निपटान कर दिया गया है।

न्या. अमित महाजन

न्या. विभू बखरु

22 दिसंबर, 2023/*केडीके/एसके/एए*

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्मेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*